

प्रेषक,

गरिमा रौकली,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,  
(जिलाधिकारी अल्मोड़ा को छोड़कर)  
उत्तराखण्ड।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक 20 नवम्बर, 2018


विषय: तालाब निर्माण के लिए उपखनिज के चुगान हेतु अल्पावधि हेतु अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 1253/VII-1/2018/171ख/14 दिनांक 02.08.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विगत 05 वर्षों में मत्स्य पालन हेतु तालाब निर्माण के लिए स्वीकृत अनुज्ञा/अनुमति तथा मत्स्य पालन हेतु तालाब निर्माण के लिए स्वीकृत अनुमति के सापेक्ष वर्तमान में मौके पर स्थिति फोटोग्राफ्स आदि सहित सुस्पष्ट सूचना शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था, जो आतिथि तक शासन में अप्राप्त है।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के उपरोक्त पत्र दिनांक 02.08.2018 के संदर्भ में वांछित सूचनाएं सुसंगत अभिलेखों सहित तीन दिन की समयावधि में शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

  
(गरिमा रौकली)  
संयुक्त सचिव।